न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 27 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती सूरज कुंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी जोरसिंह राजपूत, निवासी सरकारी हास्पिटल के पीछे, खारड़ा रोड़, नाडोल, जिला पाली (राज.)
2. श्रीमती सागर कुंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी मनोहरसिंह राजपूत, निवासी 21–ई / 180, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, नन्द भवन, जोधपुर (राज.)
3. श्रीमती पवन कुंवर उर्फ भंवर कुंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी दलपतसिंह राजपूत, निवासी रावला का वास, दादाई, जिला पाली (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती रतन कुंवर पत्नी सज्जनसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती राज कुंवर पुत्री सज्जनसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजूसिंह पिता करणसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती रशाल कुंवर बेवा हरिसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती सुन्दर कुंवर पुत्री स्वर्गीय हरिसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
6. भैरूसिंह पिता स्वर्गीय नाहरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
7. देवीसिंह पिता स्वर्गीय नाहरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
8. रामसिंह पिता स्वर्गीय नाहरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती श्याम कुंवर पुत्री स्वर्गीय नाहरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:42 IST
Reason: SelfAttested

10. श्रीमती पुष्पा कुंवर पुत्री स्वर्गीय नाहरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती मनोहर कुंवर पुत्री स्वर्गीय नाहरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती स्वरूप कुंवर पुत्री स्वर्गीय नाहरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्रीमती गणेश कुंवर पुत्री स्वर्गीय नाहरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
14. ज्योतिरादित्य सिंह पिता महावीरसिंह राजपूत, निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा
दिनांक 18.01.2021 प्र. सं. 41/20

———/———

उपस्थित :— 1— श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री मयूर दवे अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 6, 8
3—श्री जयवर्धनसिंह भाटी/विरेन्द्रसिंह राणावत अभि.रे.सं.1,2,14

———::———

निर्णय **दिनांक 23—01—2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पति/पिता श्री सज्जनसिंह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वागड, तहसील गोगुन्दा में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के खाता संख्या 86 की कुल किता 217 रकबा 75.5550 हैक्टर भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त आराजियात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, कि सीमा को लेकर आये दिन विवाद होने से उक्त आराजियात का विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजियात का पक्षवार नक्शा मौका मीट्स एण्ड बाउण्ड्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:42 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 18–01–2021 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20–05–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 4, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मयूर दवे उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री जयवर्धनसिंह भाटी एवं श्री विरेन्द्रसिंह राणावत उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी अपीलान्ट के उल्लेखित पतों पर सम्मन नहीं भेजे तथा कोविड के दौरान आवागमन भी बाधित था। अपीलान्टगण की जगह किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर तामिल करवायी गयी है। उक्त फर्जी तामिल के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्टगण को नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्टगण को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी शुरू से थी, फिर भी अपील करीब 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–01–2021 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा अपील दिनांक 20–05–2024 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:42 IST
Reason: SelfAttested

समयावधि 60 दिवस होकर अपील दिनांक 17–03–2021 तक प्रस्तुत होनी थी। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में करीब 3 वर्ष से भी अधिक विलम्ब हुआ है एवं इसके लिए कोई उचित व पर्याप्त कारण अपीलान्टगण द्वारा नहीं बताया गया है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के सही पते पर तामील नहीं करवायी गयी है। अपीलान्टगण विवाह के बाद भानपुरा में निवास नहीं करती हैं तथा अपनी ससुराल में अपील उनवान में वर्णित पते पर रहती हैं। उक्त पते पर कोई सम्मन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं भेजे गये हैं तथा अपीलान्टगण के स्थान पर किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ाकर तामिल करवायी गयी है, जिससे अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को देखे बिना ही मात्र एक व्यक्ति की सहमति के आधार पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार अपीलान्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये हैं। अपीलान्ट संख्या 2 व 3 के सम्मन उनके पुत्र द्वारा प्राप्त किये गये हैं, जबकि अपीलान्ट संख्या 1 स्वयं द्वारा अपने सम्मन प्राप्त किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं जो विधि सम्मत है तत्पश्चात प्रतिवादी की सहमति के आधार पर सहखातेदारों के मध्य विभाजन की जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, वह भी विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में विवादित आराजियात कुल किता 217 रकबा 75.5550 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता/पति सज्जनसिंह का 1/4 हिस्सा, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राजूसिंह व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 से 13 के पिता नाहरसिंह का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादी सज्जनसिंह ने अपने उक्त 1/4 हिस्से के विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपनी सहखातेदारी की भूमि का विभाजन कराने का अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन अपीलान्टगण को जारी किये गये हैं, उसमें अपीलान्ट संख्या 2 व 3 के सम्मन उनके पुत्र द्वारा प्राप्त किये गये हैं, जबकि अपीलान्ट संख्या 1 स्वयं द्वारा अपने सम्मन प्राप्त किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण का यह कथन कि उनकी विधिवत तामील नहीं हुई, जो उचित प्रकट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदारों के मध्य दर्ज हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार में विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–01–2021 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:42 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर.............
व इजलास ....कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰ ....

श्रीमती सूरज कुंवर पुत्री हरिसिंह पत्नी जोरसिंह राजपूत, नि. सरकारी हॉस्पिटल के पीछे, खारडा रोड़, नाडोल, जिला पाली व अन्य

<u>बनाम</u>

श्रीमती रतन कुंवर पत्नी सज्जनसिंह निवासी भानपुरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰....27/2024........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी........... ....गोगुन्दा......... मुकाम................मुवर्खे..............18...........माह........01.................2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.......23.....माह.......01.......सन् 2025 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी..मनीषशर्मा.....मिनजानिब अपीलान्ट व..मयूरदवे/जयवर्धनसिंहभाटी/विरेन्द्रसिंहराणावत

...........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–01–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......23........माह........01........2025 को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर ... का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:42 IST
Reason: SelfAttested